फा.सं0.349/82/2017-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)
(जीएसटी नीति स्कंध)

****

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई, 2017

सेवा में

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी),

महोदया/महोदय,

विषय:- बिना एकीकृत कर भुगतान के निर्यातों हेतु बांड/वचन-पत्र संबंधी मुद्दों के संबंध में ।

क्षेत्रीय अधिकारियों और निर्यातकों से विभिन्न संसूचनाओं को प्राप्त किया गया है कि एकीकृत कर का भुगतान किए बिना माल और सेवाओं के निर्यात हेतु जो बांड/वचन-पत्र को प्रस्तुत किए जाने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया है, का पालन किए जाने में कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है । अत:, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता के उद्देश्य से इन मुद्दों को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (सीजीएसटी नियमाली) के नियम 96क के अनुसार, बिना एकीकृत कर की अदायगी के माल अथवा सेवाओं का निर्यात करने वाले किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फार्म जीएसटी आरएफडी-11 में बांड या किसी वचन-पत्र (एलयूटी) को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

3. अधिसूचना सं0. 16/2017-केन्द्रीय कर दिनांक 01-07-2017 के प्रति ध्यान आमंत्रित किया गया है, जिसके तहत निर्यातकों की श्रेणी जो एलयूटी के तहत निर्यात करने योग्य हैं, को शर्तों और सुरक्षा उपायों के साथ निर्दिष्ट किया गया है । सभी निर्यातक, जो उक्त अधिसूचना के तहत कवर नहीं हैं, बॉन्ड जमा करेंगे । बांड को प्रस्तुत किए जाने और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया को पहले ही 4 जुलाई, 2017 के परिपत्र सं0. 2/2/2017-जीएसटी के माध्यम से निर्धारित किया जा चुका है । यह बांड प्रस्तुत किए जाने वाले राज्य में लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

4. एक स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि निर्यात के लिए प्रस्तुत किए जाने हेतु बांड एक चलन बांड है (डेबिट / क्रेडिट सुविधा के साथ) या एक बारगी बांड (प्रत्येक समनुदेशन / निर्यात के लिए अलग बांड)। यह देखा गया है कि प्रत्येक समनुदेशन हेतु बांड निर्यातकों पर एक महत्वपूर्ण अनुपालन बोझ होगा । यह निर्देश दिया जाता है कि यदि निर्यातकों के लिए बांड प्रस्तुत करना आवश्यक हो तो उन्हें फॉर्म जीएसटी आरएफडी-11 में एक चलन बांड को प्रस्तुत करना होगा । यह बांड, निर्यातक द्वारा स्वयं मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित कर देयता के आधार पर निर्यात में शामिल कर की राशि को कवर करेगा । निर्यातक को सुनिश्चित करना होगा कि निर्यात पर बकाया कर देयता बांड राशि के भीतर है । यदि बांड राशि निर्यातों को

पूरा किए जाने हेतु कर देयता को कवर करने में अपर्याप्त है तो निर्यातक ऐसी देयता को कवर किए जाने हेतु एक नया बांड प्रस्तुत करेगा ।

5. सीजीएसटी नियमावली 96 क के अंतर्गत फार्म आरएफडी - 11 में बांड के साथ बैंक गारंटी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । क्षेत्रीय अधिकारियों ने बांड हेतु एक प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी की राशि पर स्पष्टता का अनुरोध किया है । इस संबंध में यह निर्देश दिया जाता है कि निर्यातक के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर बैंक गारंटी की राशि के विषय में क्षेत्राधिकार आयुक्त फैसला कर सकता है । यदि आयुक्त निर्यातक के ट्रैक रिकॉर्ड से संतुष्ट है, तो बिना बैंक गारंटी बांड प्रस्तुत किया जाना पर्याप्त होगा । किसी भी मामले में बैंक गारंटी सामान्यत: बांड राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

6. जहां तक एलयूटी का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह बारह महीने के लिए वैध होगा । यदि निर्यातक एलयूटी की शर्तों का पालन करने में असफल होता है तो उसे एक बांड प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा जा सकता है । 31 जुलाई, 2017 तक निर्यातकों को मौजूदा एलयूटी / बांडों के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है । निर्यातक 31 जुलाई, 2017 तक संशोधित प्रारूप में एलयूटी / बांड प्रस्तुत करेंगे ।

7. इसके आगे कहा गया है कि निर्यातक के व्यापार के प्रमुख स्थान पर क्षेत्राधिकार वाले उपायुक्त/सहायक आयुक्त द्वारा बॉण्ड/एलयूटी स्वीकार किया जाएगा । करदाताओं की संबंधित प्राधिकरण को सुपुर्दगी के प्रशासनिक तंत्र के कार्यावयन तक केन्द्रीय कर प्राधिकारण या राज्य कर प्राधिकरण के समक्ष बांड/एलयूटी प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्यातक स्वतंत्र होगा । यद्यपि, यदि किसी राज्य में, राज्य कर का आयुक्त, निर्यातक को, सामान्य अनुदेश द्वारा ऐसा निदेश करता है, तो सभी मामलों में बांड/एलयूटी को केन्द्रीय कर अधिकारी द्वारा ऐसे उक्त प्रशासनिक तंत्र के कार्यावयन के समय तक स्वीकार किया जाएगा । केंद्रीय कर अधिकारियों को निर्यातकों को सुविधा प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक कदम उठाने के निर्देश दिए जाते हैं ।

8. इसके अलावा परिपत्र सं0. 26/2017- सीमा शुल्क दिनांक 1 जुलाई 2017, के प्रति ध्यान आमंत्रित किया जाता है जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पर्यवेक्षण/अधिवीक्षण में अथवा अन्यथा के अंतर्गत एक बोतल सील के साथ कंटेनर को सील किए जाने की विद्यमान अभिक्रिया 01 सितंबर, 2017 तक जारी रहेगी । ऐसी सीलिंग, व्यापार जहां सीलिंग की जा रही है, के व्यापार स्थान पर वास्तविक क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत की जाएगी । सीलिंग रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि व्यापार के प्रमुख स्थान पर क्षेत्राधिकार वाले उप/सहायक आयुक्त के पास भेजी जाएगी ।

9. ये अनुदेश 1 जुलाई, 2017 को या उसके पश्चात् होने वाले निर्यातों पर लागू होंगे । यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र के संदर्भों को प्रचारित किए जाने हेतु उचित व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं । उपर्युक्त अनुदेशों के कार्यावयन में कठिनाई, यदि कोई हो, को कृपया बोर्ड के नोटिस में लाया जाए ।

(उपेंद्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)